*भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कायापलट**

शक्तिकान्त दास

आज सुबह यहां मिंट बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं मिंट के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। संयोग से, मैंने फरवरी 2020 में इसी तरह के एक कार्यक्रम - मिंट एनुअल बैंकिंग कॉन्क्लेव - में भी भाग लिया था।

अभी कुछ समय पहले ही, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। भारतीय बैंक अनर्जक आस्तियों (एनपीए)[1] के उच्च स्तर से प्रभावित थे, जबकि आस्ति और इक्विटी पर रिटर्न ऋणात्मक ज़ोन में था। जून 2018 के अंत तक ग्यारह बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत थे।[2] एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की विफलता ने बाजार सहभागियों के बीच डर और जोखिम से बचने की भावना पैदा कर दी, जिससे बाजार उधार लेने की लागत बढ़ गई, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास कथित आस्ति-देयता बेमेल की समस्याएं विद्यमान थीं। जब हम वित्तीय क्षेत्र में दबाव का सामना कर रहे थे, तभी वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी एक आघात के रूप में आई, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में बड़े व्यवधान उत्पन्न हुए।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय और पर्यवेक्षी मोर्चों पर कई पहल कीं, जबकि बैंकों ने स्वयं, अपने आंतरिक रक्षा तंत्र को मजबूत करके चुनौतियों का सामना किया। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, दुनिया भर में कोविड-19, भू-राजनीतिक संघर्षों और कठोर मौद्रिक नीति से उत्पन्न होने वाली कई बाधाओं के बावजूद, बैंकिंग प्रणाली में क्रमिक और निरंतर बदलाव आए हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सभी प्रमुख संकेतक, अर्थात् पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में पिछले चार वर्षों में सुधार देखा गया है।[3] ऋण वृद्धि अब व्यापक हो गई है और यह वित्तीय संस्थानों के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों द्वारा समर्थित है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय संकेतक भी बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप हैं। कुल मिलाकर, भारत का बैंकिंग क्षेत्र हाल के वर्षों की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर मजबूत होकर उभरा है।

अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में यह बदलाव कैसे आया। इस प्रश्न पर मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है कि यह प्रणाली में विभिन्न हितधारकों के अच्छे कार्यों का परिणाम है। आज अपने संबोधन में, मैंने पिछले कुछ वर्षों में उथल-पुथल के बीच आर्थिक जहाज को स्थिर करने के रिज़र्व बैंक के प्रयासों पर बोलने का विकल्प चुना है। मैंने अपनी बात को निम्नलिखित तरीके से संरचित किया है। सबसे पहले, मैं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के दबाव से शुरू होने वाले विभिन्न संकटों पर हमारी प्रतिक्रिया पर बोलूंगा, जो महामारी से पहले भी हमें परेशान किया था। इसके बाद, मैं हाल के वर्षों में हमारे विनियमन और पर्यवेक्षण को सुधारने के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा।

हमने संकट से कैसे पार पाया

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) संकट के बाद, रिज़र्व बैंक ने पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपायों की एक शृंखला के माध्यम से समष्टि-आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे में प्रदान किए गए लचीलेपन ने हमें महामारी

---

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जनवरी, 2024 - मिंट बीएफएसआई शिखर सम्मेलन, मुंबई में दिया गया मुख्य भाषण।

1 आरबीआई द्वारा 2014-15 में आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा करने के बाद, 31 मार्च 2018 तक, सकल अनर्जक आस्तियों का हिस्सा सकल अग्रिमों का लगभग 11 प्रतिशत था।

2 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2018।

3 बैंकों की पूंजी पर्याप्तता 31 मार्च 2020 के 14.8 प्रतिशत से 181 बीपीएस बढ़कर 30 सितंबर, 2023 को 16.6 प्रतिशत हो गई है। आस्ति की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ है, सकल अनर्जक आस्तियां 8.3 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई है और इसी अवधि के दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात 81.2 प्रतिशत से बढ़कर 91.9 प्रतिशत हो गया है। लाभप्रदता, जैसा कि आस्ति विवरणी और इक्विटी विवरणी में परिलक्षित होता है, ने भी क्रमशः 119 बीपीएस और 1131 बीपीएस की वृद्धि देखी है। एससीबी का चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 135.4 पर संतोषजनक था, जो 100 की न्यूनतम शर्त से काफी ऊपर था।

के दौरान तत्काल विकास चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े आपूर्ति पक्ष के आघातों को समायोजित करने में मदद की। विशेष रूप से, लक्ष्य के लिए आघात सहनीयता बैंड इस अवधि के दौरान काम आया। वित्तीय स्थिरता की चिंताओं पर हमेशा नज़र रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द अपने पैरों पर वापस खड़ी हो और विकास के उच्च पथ पर लौट आए। हमारा अंतिम उद्देश्य मूल्य स्थिरता, निरंतर विकास और वित्तीय स्थिरता का पारस्परिक सह-अस्तित्व है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा काम करता है।

2018 की दूसरी छमाही में IL&FS के पतन के बाद, 2019 के लगभग पूरे वर्ष में एनबीएफसी की निगरानी तेज करने के उपाय करना आवश्यक हो गया; उनकी चलनिधि और स्थिरता की स्थिति की अधिक बारीकी से निगरानी करना; मुद्रा खरीद-बिक्री स्वैप जैसे नवीन साधनों के माध्यम से प्रणाली में चलनिधि लाना; उचित संचार के माध्यम से बाजार का विश्वास बहाल करना और कई मोर्चों पर वास्तविक कार्रवाई के साथ इसका समर्थन करना।[4]

जब हमने सोचा कि कोविड-19 एक बड़ा विघटनकारी कारक हो सकता है, तो हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी। 27 मार्च, 2020 को कई उपायों की घोषणा की गई। इनमें ₹1,00,000 करोड़ तक लक्षित अवधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ), नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 1 प्रतिशत की कमी और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक बैंकों की पहुंच में वृद्धि शामिल थी[5]। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही रिज़र्व बैंक में व्यवसाय निरंतरता के उपाय लागू कर दिए गए थे।[6] समानांतर में, सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को मार्च 2020 में अपनी मौजूदा परिचालन और व्यावसायिक निरंतरता योजनाओं को सक्रिय करने और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों का प्रबंधन करने की सूचना दे दी गई थी। मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, दो महीने (मार्च-मई 2020) की अवधि में नीतिगत रेपो दर में 115 बीपीएस की भारी कमी की गई थी। सकल घरेलू उत्पाद के 8.7 प्रतिशत के बराबर चलनिधि बढ़ाने के उपायों की घोषणा की गई। इन उपायों के परिणामस्वरूप, कोविड-19 अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति काफी हद तक आसान हो गई।

विनियामकीय फोकस वित्तीय संस्थानों और उनके घटकों पर कोविड -19 के तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए उचित नीतिगत प्रतिक्रियाएं तैयार करने पर था। इस अवधि के दौरान शुरू किए गए नियामकीय उपायों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात्, महामारी के दुष्प्रभावों के विरुद्ध अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उपाय और महामारी के बाद की अवधि में मध्यम अवधि में त्वरित सुधार और टिकाऊ विकास का समर्थन करने के उपाय।

उन उधारकर्ताओं को तत्काल ऋण सेवा राहत प्रदान करने के लिए जिनकी आय सृजन क्षमता लॉकडाउन के कारण बाधित हो गई थी, ऐसे सभी पात्र उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्भुगतान पर शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए, जिसे बाद में अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया था, अर्थात मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक कुल छह महीने के लिए आस्थगन लगा दिया गया था। यह देखते हुए कि उधारकर्ताओं को संकट की अवधि से निपटने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की आवश्यकता होगी, उधारदाताओं को उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पुनर्गणना करने और तदनुसार वित्त पोषण करने की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त उपायों को उसकी वास्तविक भावना में लागू करने के लिए ऋणदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नियामकीय छूट प्रदान की गई थी, जिसके संदर्भ में ऋण स्थगन और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील को पुनर्गठन के रूप में नहीं माना गया था।

[4] जून 2019 में नीति प्रेस विज्ञप्ति की समाप्ति के दौरान, गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "...यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास है कि किसी भी बड़े प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी या किसी भी बड़े एनबीएफसी का पतन न हो। और, उस दिशा में हम उभरती स्थिति पर नजर रख रहे हैं और हम देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ती है। ...."

[5] बैंकों की वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती करके एमएसएफ के तहत रातोंरात उधार लेने की सीमा को एनडीटीएल के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे उन्हें एलएएफ विंडो के तहत अतिरिक्त 1,37,000 करोड़ रुपये की चलनिधि प्राप्त करने की अनुमति मिली।

[6] हम शायद पहले कुछ केंद्रीय बैंकों में से थे, जिन्होंने लगभग 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ एक विशेष क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की थी, जो बैंकिंग और वित्तीय बाजार संचालन और भुगतान प्रणालियों में व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़े हुए थे।

इसके अलावा, वास्तविक क्षेत्र में गतिविधियों के पुनरुद्धार की सुविधा के लिए और अंतिम उधारकर्ताओं पर प्रभाव को कम करने के लिए, आस्ति वर्गीकरण को डाउनग्रेड किए बिना पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में व्यवहार्य पुनर्संरचना योजनाओं को लागू करने के लिए ऋणदाताओं को समाधान फ्रेमवर्क (1.0) के तहत एक विंडो प्रदान की गई थी। यह देखते हुए कि अतीत में इसी तरह के अनुभव के कारण कुछ प्रतिकूल परिणाम हुए थे, यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तों को संहिताबद्ध किया गया था कि केवल महामारी से प्रभावित उधारकर्ताओं को एक परिभाषित सीमित अवधि उपधारा के अंतर्गत समाहित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल व्यवहार्य प्रस्तावों को ही लाभ दिया जाए, समाधान योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए ऐसे मापदंडों के लिए क्षेत्रक-विशिष्ट मापदंड सीमा के साथ आवश्यक वित्तीय मापदंडों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऋण देने वाली संस्थाओं को समाधान योजनाओं के मूल्यांकन के लिए, उनके द्वारा तय किए गए किसी अन्य मापदंडों के साथ इन मापदंडों पर विचार करना आवश्यक था।

जैसे ही कोविड-19 की दूसरी लहर के आघात सामने आए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0 के अंतर्गत अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांतों के साथ ₹50 करोड़ से कम उधारी वाले खुदरा ऋण; और, अन्य छोटे व्यवसायों के साथ-साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार के एक विंडो की घोषणा की गई। उक्त दोनों समाधान ढाँचे विवेकपूर्ण और वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज किए बिना लेनदारों और देनदारों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का अभ्यास था। संकट के प्रति हमारी तत्काल प्रतिक्रिया की इस पृष्ठभूमि के साथ, अब मैं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से बैंकिंग प्रणाली के नियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में किए गए हमारे प्रयासों की ओर मुड़ता हूँ।

विनियामकीय संरचना को मजबूत करना

कोविड-19 महामारी संबंधी चुनौतियों से निपटने के दौरान, हमने अपनी नियामकीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए इस अवधि के दौरान संरचनात्मक उपायों की एक शृंखला की घोषणा की और उन्हें लागू किया, जिसमें इकाई-आधारित दृष्टिकोण से सिद्धांत और/या गतिविधि-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव किया। इन उपायों ने न केवल किसी संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्वारा अनुभव किए गए कई संकटों से मजबूत और स्वस्थ होकर उभरने में भी सक्षम बनाया है।

हाल की अवधि में, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली की नियामकीय संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। इन नियामकीय कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, लीवरेज अनुपात (जून 2019)[7] का कार्यान्वयन; बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (जून 2019)[8]; निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन पर दिशानिर्देश (अप्रैल 2021) [9]; मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर संशोधित दिशानिर्देश (सितंबर 2021); एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियामकीय ढांचा (अक्तूबर 2021)[10]; शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा (जुलाई 2022); और डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश (सितंबर 2022) शामिल हैं। पूंजी और चलनिधि अपेक्षाएं सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर समान रूप से लागू होती हैं, चाहे उनकी आस्तियों

---

[7] वित्तीय स्थिरता की आवश्यकताओं और बेसल III मानकों के साथ बढ़ते सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात 4 प्रतिशत और अन्य बैंकों के लिए 3.5 प्रतिशत होना चाहिए।

[8] एक्सपोज़र और संकेंद्रीयता जोखिम को अधिक सटीक रूप से पहचानने और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ निर्देशों को संरेखित करने के लिए, संरचित वित्तीय निवेश के मामले में प्रासंगिक प्रतिपक्ष की पहचान करने में बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क को जुड़े समकक्षों की परिभाषा में आर्थिक अंतर-निर्भरता मानदंडों की उल्लेखनीय शुरूआत और निर्धारण में अनिवार्य "लुक-थ्रू दृष्टिकोण" के साथ संशोधित किया गया था।

[9] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बोर्ड की अध्यक्षता और बैठकों, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना; निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक; तथा पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति के बारे में निर्देश जारी किए गए थे।

[10] इन नए नियामकीय ढांचे को लाए जाने से पहले ही, हमने बड़े एनबीएफसी (अप्रैल 2022) में मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) (मई 2019) और मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करने; ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति वाले एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (नवंबर 2019); बड़े एनबीएफसी (₹5000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाले) और ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाले यूसीबी के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) मानदंड (फरवरी 2021); और एनबीएफसी और यूसीबी के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देशों को वाणिज्यिक बैंकों के साथ सुसंगत बनाना (अप्रैल 2021) जैसे उपाय किए थे।

का आकार और जोखिम कुछ भी हो।[11] हमने आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रियाओं के पूर्ण स्वचालन को प्राप्त करने के लिए बैंकों को प्रेरित किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यद्यपि इस आशय के दिशानिर्देश 2011 में जारी किए गए थे, उनका पूर्ण कार्यान्वयन लंबित था। इसलिए, इस प्रक्रिया की पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 2020 में अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

अब मैं रिज़र्व बैंक के नियामकीय प्रयासों के कुछ अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। यहां छह बिंदु हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(ए) एक टिकाऊ डिजिटल ऋण परिदृश्य को बढ़ावा देना

महामारी के बाद, भारत सहित विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं में डिजिटल ऋण में तेजी से वृद्धि देखी गई है। डिजिटल ऋण के आकार और वेग में वृद्धि हुई है। साथ ही, इसने कई व्यावसायिक आचरण संबंधी मुद्दों को भी उठाया है। परिणामस्वरूप, विभिन्न नियामकीय दुविधाएँ सामने आई हैं जिनमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। एक तरफ फिनटेक के नवीन व्यवसाय मॉडल द्वारा लाए गए ग्राहक लाभों और दूसरी तरफ उभरते व्यावसायिक आचरण और नियामकीय चिंताओं को संतुलित करना आवश्यक था।

रिज़र्व बैंक के नियामकीय संतुलन का परिणाम सितंबर 2022 में जारी डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों में परिलक्षित हुआ, जिसमें जून 2023 में फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) पर दिशानिर्देश जारी किए जाने के पश्चात, विवेकपूर्ण चिंताओं और आउटसोर्सिंग के अन्य प्रमुख पहलु, व्यावसायिक आचरण, गोपनीयता और डिजिटल ऋण संचालन को शामिल किया गया। विनियामकीय उद्देश्य नवोन्मेषी डिजिटल व्यवसाय मॉडल के लाभकारी प्रभावों को बरकरार रखते हुए नकारात्मक पहलुओं पर लगाम लगाना था। इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद निजी इक्विटी पर डेटा डिजिटल ऋण क्षेत्र में प्रवाहित होता है, जो भारतीय डिजिटल ऋण प्रणाली पर निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है और ऐसा विश्वास है कि, आगे चलकर, रिज़र्व बैंक की नियामकीय निगरानी के तहत डिजिटल ऋण से फिनटेक क्षेत्र को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को तेज करने और व्यापक बनाने के हमारे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, "डिजिटल बैंकिंग इकाइयों" (डीबीयू) की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी।[12]

(बी) विनियमित संस्थाओं में अभिशासन को सशक्त बनाना

हाल के वर्षों में हमारा ध्यान विनियमित संस्थाओं - बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) - में अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करने पर रहा है ताकि उनकी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। वित्तीय क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है। आश्वासन कार्य, अर्थात् जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा-परीक्षा अभिशासन और व्यवसाय के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं। मुख्य बात जोखिमों की शीघ्र पहचान करना, उन पर बारीकी से निगरानी करना और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। इस संदर्भ में, संगठन में उचित जोखिम संस्कृति स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसे सभी स्तरों पर प्रभावी उत्तरदायित्व के साथ बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचालित करने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वरिष्ठ प्रबंधन, निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समितियां और बैंकों में आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे और प्रारंभिक और उभरते जोखिमों के प्रति अधिक सतर्क रहेंगे। रिज़र्व बैंक ने अभिशासन और आश्वासन कार्यों की गुणवत्ता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों का भी गहन पर्यवेक्षी मूल्यांकन किया जाता है।

[11] सभी एससीबी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात (पूंजी संरक्षण बफर सहित) को 11.5 प्रतिशत, एलसीआर को 100 प्रतिशत और एनएसएफआर को 100 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।

[12] डीबीयू एक विशेष निश्चित स्थल व्यवसाय इकाई/हब है जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से स्वयं-सेवा और सहायता प्राप्त मोड दोनों में प्रदान करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुविधा है, ताकि ग्राहकों को लागत में सक्षम बनाया जा सके और एक कुशल, कागज रहित, सुरक्षित और जुड़े हुए वातावरण में ऐसे उत्पादों और सेवाओं तक प्रभावी/सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव, जिसमें अधिकांश सेवाएं पूरे वर्ष किसी भी समय स्व-सेवा मोड में उपलब्ध हो सके।

(सी) ग्राहक-हितैषी परिप्रेक्ष्य के साथ विनियमों की पुनर्कल्पना

हमने आचरण संबंधी पहलुओं को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। अपने रिकवरी एजेंटों द्वारा ग्राहकों को डराने-धमकाने या उत्पीड़न से बचने को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्थाओं के उत्तरदायित्व पर निर्देश जारी किए गए हैं। कार्ड जारी करने पर मास्टर निर्देशों ने कार्ड संचालन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आचरण नियमों को मजबूत किया है।[13]

हमने विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के मुद्दे पर भी ध्यान दिया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) शुरू और कार्यान्वित की गई है। यह रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के कुछ प्रमुख खंडों से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए वन-स्टॉप, लागत-मुक्त संपर्क स्थल है। यह योजना व्यक्तिगत सुनवाई, मुआवजा और एक अंतर्निहित अपीलीय तंत्र प्रदान करने की शक्तियों के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र की परिकल्पना करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और साख सूचना कंपनियों को भी एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में लाया गया है।

(डी) टिकाऊ वित्त पहल

जलवायु जोखिमों से महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक में एक समर्पित टिकाऊ वित्त समूह को संस्थागत बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद में सक्रिय रूप से भाग लेने के अलावा, विनियमित संस्थाओं के बीच आंतरिक रूप से अपने प्रणाली, प्रक्रियाओं, नीतियों की समीक्षा करने और स्थायी वित्त और आगे बढ़ने के रास्ते पर विचार-मंथन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ई) ऋण बाजार विकसित करने के उपाय

ऋण जोखिम हस्तांतरण में एक मजबूत बाजार के विकास और दबावग्रस्त ऋणों में अधिक निवेशक भागीदारी की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण' और 'ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण' (2021) पर दिशानिर्देशों के रूप में एक नियामकीय ढांचा तैयार किया है। इसके बाद, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए रूपरेखा पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया है, जिसकी अंतिम रूपरेखा अब तैयार की जा रही है। स्व-नियामक निकाय – द्वितीयक ऋण बाजार संघ (एसएलएमए) स्थापित करने के लिए प्रमुख बैंकों के एक मुख्य समूह को भी एक साथ लाया गया है। यह निकाय दस्तावेज़ीकरण और बाज़ार प्रथाओं के मानकीकरण, बाज़ार अवसंरचना की स्थापना; और व्यापक विनियामकीय उद्देश्यों के अनुरूप द्वितीयक बाजार की वृद्धि, चलनिधि और दक्षता को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

(एफ) समष्टि विवेकपूर्ण उपाय

एक ओर जहाँ हम वित्तीय प्रणाली को पुन: व्यवस्थित करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापक प्रणालीगत स्थिरता और अविवेकपूर्ण प्रथाओं के शुरुआती लक्षणों को दूर करने पर भी हमारा ध्यान जारी है। खुदरा ऋण के कुछ क्षेत्रों में लगातार ऋण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे अनुचित उत्साह को कम करने के लिए नवंबर 2023 में पूर्वोपायों की घोषणा की गई थी। इसलिए, उपभोक्ता ऋण के कुछ खंडों पर जोखिम भार बढ़ाया गया है। एनबीएफसी को बैंक ऋण के साथ परस्पर जुड़ाव के कारण इस समस्या का समाधान भी उच्च जोखिम भार के माध्यम से किया गया है। हाल ही में, उधारदाताओं और वैकल्पिक ऋण चैनलों - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) - के बीच नियामकीय अंतरपणन के कारण अति-उत्साह संबंधी चिंताओं का समाधान इसी प्रकार किया गया है (दिसंबर 2023)।

रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को नया रूप देना

हमारी पर्यवेक्षी संरचना की चपलता, लोचनीयता और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन भी लागू किए गए हैं। रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रणालियों को भविष्योन्मुखी

[13] इनमें क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करना, बिलिंग संबंधी विषय, क्रेडिट लेनदेन की वापसी, नए फॉर्म संबंधी विषय, सह-ब्रांडेड व्यवस्था से संबंधित विषय, धोखा युक्त बिक्री आदि शामिल हैं। ऋण से संबंधित उत्पादों के मूल्य निर्धारण और मूल्य निर्धारण को समायोजित करने, ऋण से संबंधित सुरक्षा दस्तावेजों की वापसी, क्रेडिट स्कोरिंग की रिपोर्टिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने आदि के संदर्भ में जिम्मेदार ऋण आचरण सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं।

दृष्टिकोण के साथ वित्तीय क्षेत्र की गतिशीलता के अनुरूप ढालने के लिए पुनर्गठित किया गया है ताकि संभावित संकटों को पहले ही भांप लिया जा सके। पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में तीन स्तरों- वित्तीय, परिचालन और संगठनात्मक - में लोचनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसे और अधिक गतिशील बना दिया गया है। इस संदर्भ में, मैं पाँच पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

(ए) नियामकीय और पर्यवेक्षी साधनों का एकीकरण

वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए रिज़र्व बैंक में एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को संस्थागत बनाया गया है। पर्यवेक्षी साधनों की एक विस्तृत शृंखला का उपयोग करके कमजोरियों के मूल कारणों की पहचान करने पर जोर दिया गया है। इससे पहले, रिज़र्व बैंक के भीतर तीन अलग-अलग इकाइयाँ बैंकिंग क्षेत्र में तीन अलग-अलग प्रकार की संस्थाओं, अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यूसीबी और एनबीएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण कर रही थीं। अब, केवल एक विनियमन विभाग (डीओआर) विनियमित करता है, जबकि दूसरा पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) इन तीन खंडों की देखरेख करता है। इस एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से नियामकीय दक्षता और प्रभावी निरीक्षण को बढ़ावा मिला है। इसने सभी क्षेत्रों में अंतर-संबंधों का शीघ्र और समय पर पता लगाने के साथ-साथ नियामकीय और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के तालमेल को सक्षम बनाया है। हालाँकि, किसी भी तरह से, हमने एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त मॉडल को नहीं अपनाया है। इसका उद्देश्य इकाई-आधारित पर्यवेक्षण के अलावा गतिविधि-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण लाना था।

(बी) प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण

प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कार्य की आवृत्ति और तीव्रता अब संस्थानों के आकार के साथ-साथ जोखिम पर भी आधारित है। ये निरीक्षण भी अधिक गहन और लगातार हो गए हैं। हमने पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्डों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया है। ये वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं और उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ की गई बातचीत के अलावा हैं। अब ध्यान अकेले लक्षणों से निपटने के बजाय कमजोरियों के मूल कारण की पहचान करने पर अधिक है। प्रत्येक पर्यवेक्षी चक्र के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है। इन सभी पहलों को जोड़ने वाला अंतर्निहित उद्देश्य उभरते जोखिमों और कमजोरियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में सक्रिय और हमेशा सतर्क रहना है। उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण के लिए जोखिम भार में हाल ही में (16 नवंबर, 2023) पूर्वोपायों में वृद्धि इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। हमने प्रत्यक्ष जांच और परोक्ष विश्लेषण के बीच प्रतिपुष्टि ढांचे को भी मजबूत किया है ताकि निरंतर पर्यवेक्षण किया जा सके।

(सी) परोक्ष पर्यवेक्षण: तीक्ष्ण विश्लेषण

हमने संभावित और उभरते जोखिमों की पहचान के लिए पर्यवेक्षी समष्टि और सूक्ष्म आंकड़ा विश्लेषण को काफी मजबूत किया है। हम बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के व्यवसाय मॉडल में गहराई से उतरते हैं और उनकी आस्ति-देयता असंतुलन और निधीयन स्थिरता की बारीकी से निगरानी करते हैं। हमारे पास प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की एक प्रणाली है जो जोखिम बढ़ने का प्रमुख संकेत प्रदान करती है। यद्यपि आस्ति की गुणवत्ता और पूंजीगत स्थिति मध्यम अवधि में वित्तीय संस्थानों के समुत्थानशीलता और मजबूती का संकेत देती है, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल के अनुभव से पता चला है कि चलनिधि संकट का तत्काल कारण बन सकती है। हम बैंकों और एनबीएफसी की चलनिधि की स्थिति की बहुत बारीकी से निगरानी करते हैं और यदि कोई गड़बड़ी होती है, तो उसे तुरंत सुधारात्मक उपायों के लिए उनके समक्ष उसे उठाया जाता है। व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ-साथ प्रणालीगत स्तर पर भी दबाव परीक्षण निरंतर आधार पर किए जाते हैं। संस्थाओं में विषयगत अध्ययन भी किए जाते हैं। हम विनियमित संस्थाओं के व्यावसायिक निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ प्रबंधन को संवेदनशील बनाना है। परोक्ष आंकड़ा विश्लेषण को मजबूत करने के लिए मशीन लर्निंग के उपयुक्त और विवेकपूर्ण उपयोग के साथ मॉडल विकसित किए गए हैं। जोखिम आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल को बाहरी और आंतरिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया गया है। इस प्रकार,

पर्यवेक्षण के प्रति हमारा संपूर्ण दृष्टिकोण आश्चर्यों को कम करने, चिंताओं का पता लगाने और उनका शीघ्र समाधान करने के लिए सक्रिय होना है।

(डी) क्षमता निर्माण पर निरंतर फोकस

रिज़र्व बैंक की निगरानी को मजबूत करने के हिस्से के रूप में, क्षमता निर्माण के लिए 2020 में पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज (सीओएस) स्थापित किया गया है। कॉलेज वित्तीय समुत्थानशीलता पर वैश्विक संस्थानों के समूह में शामिल हो गया है। हमने अनुभव साझा करने और वैश्विक विशेषज्ञता के निर्माण के लिए एक मंच बनाने का उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, फेडरल रिज़र्व बोर्ड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, दक्षिणपूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक और टोरंटो सेंटर जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग किया है। । इस प्रक्रिया के माध्यम से, हमारे पर्यवेक्षकों के ज्ञान भंडार का विस्तार करने का प्रयास किया जाता है।

(ई) आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों पर संवर्धित फोकस

हमारे सघन ध्यान का एक अन्य क्षेत्र साइबर सुरक्षा जोखिम है। हालाँकि बैंकिंग में आईटी को अपनाने के स्पष्ट लाभ हैं, लेकिन इससे जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से देखे जाने की आवश्यकता है। हमारी विनियमित और पर्यवेक्षित संस्थाओं के विविधीकरण और जटिलता स्तरों को ध्यान में रखते हुए, हमने विभिन्न संस्थाओं के लिए अलग-अलग साइबर सुरक्षा बेसलाइन नियंत्रण ढांचे जारी किए हैं। उदाहरण के लिए, सहकारी बैंकों के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण लागू किया गया है, जो उनके द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं पर निर्भर करता है। मजबूत अभिशासन संरचनाओं, न्यूनतम सुरक्षा मानकों, आईटी और आईटीईएस आउटसोर्सिंग, कारोबार निरंतरता प्रबंधन, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की भूमिकाओं और कार्यों सहित अन्य के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

निष्कर्ष

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उल्लेखनीय बदलाव हाल के वर्षों में भारत की सफलता की कहानी की आधारशिला रही है। आज, भारतीय बैंकिंग प्रणाली आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

विश्वास एक मजबूत वित्तीय प्रणाली का सार है और निरंतर प्रयासों के माध्यम से समय की अवधि में बनाया जाता है। इसे संरक्षित करने की जरूरत है. रिज़र्व बैंक ने भारतीय वित्तीय प्रणाली के विश्वास कारक की सुरक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार के हमारे हालिया प्रयास इसी मूल सिद्धांत द्वारा निर्देशित हैं। मौद्रिक प्राधिकरण, बैंकों और गैर-बैंकों के नियामक और पर्यवेक्षक, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजारों के अन्य क्षेत्रों जैसी हमारी विविध जिम्मेदारियों के साथ, हमने बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए अपने सभी साधनों - मौद्रिक नीति को समष्टि-आर्थिक विनियमन और पर्यवेक्षण के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी भी तरह की आत्मसंतुष्टि की भावना से बचते हैं, और भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अथक प्रयास करते हैं।

धन्यवाद। नमस्कार!